

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 416] No. 416] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2015/आषाढ़ 9, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2015/ASADHA 9, 1937

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2015

सा.का.नि. 519(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 42 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखों और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्ररुप) नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं--इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
- (क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्ररूप" से उपाबद्ध कोई प्रारूप अभिप्रेत है;
- (ग) "अनुसूची" से प्रारूप से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
- (घ) पदों और शब्दों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।
- 3. लेखों और अन्य संबंधित अभिलेखों की वार्षिक विवरणी—प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह मास की किसी अविध के अवसान पर, उक्त अविध के संदर्भ तुलन-पत्र, आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियां और संदाय में नीचे के विनिर्दिष्ट प्ररूपों में तैयार करेगा, अर्थात :--
 - (क) प्ररूप "क" में तुलन-पत्र ;
 - (ख) प्ररूप "ख" में आय और व्यय का लेखा ;

2880 GI/2015 (1)

(ग) प्ररूप "ग" में प्राप्ति और संदाय का लेखा ।

- 4. **लेखा आदि का अनुरक्षण**—प्राधिकरण नियम 3 में निर्दिष्ट तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और संदाय लेखा वित्तीय वर्ष, जिससे वह संबंधित है, के पश्चातवर्ती पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सुरक्षित रखेगा।
- 5. **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**—तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और संदाय लेखा और उनसे उपाबद्ध अनुसूचियां प्राधिकरण के मुख्य लेखा अधिकारी, अध्यक्ष और दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होंगी।

फार्म ए [नियम 3 (क) देखें]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण दिनांक 31.03.201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

(यूनिट-भारतीय रुपये)

देयता	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष	आस्ति	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. आधारभूत/ पूंजीगत निधि	1			1. अचल आस्ति	8		
				कुल ब्लॉक			
				घटाएं : मूल्यह्रास			
				निवल ब्लॉक			
2. आरक्षित एवं अधिशेष निधियां	2			2. निर्धारित से निवेश/ अक्षय निधि	9		
3. निर्धारित की गई/ अक्षय निधि	3			3. अन्य निवेश	10		
4. जमानती ऋण एवं उधार	4			4. वर्तमान आस्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11		
5. गैर-जमानती ऋण एवं उधार	5			5. विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते नहीं डाला गया हो या समायोजित नहीं किया गया हो।			
6. आस्थगित ऋण देयता	6						
7. वर्तमान देयता एवं प्रावधान	7						
जोड़				जोड़			
महत्वपूर्ण लेखा नीति	24					1	1
आकस्मिक देयता एवं लेखा पर नोट	25						

~		\sim	σ	C .	_			J: 0
नाट	:- त्लनपत्र	का	सभी	अनुसूचियां	खात	का	भाग	हागा।

स्थान:

दिनांक: मुख्य लेखा अधिकारी

फार्म बी [नियम 3 (ख) देखें]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण 31 मार्च 201 के वर्षांत के लिए आय एवं व्यय खाता_____

(यूनिट-भारतीय रुपये)

					١	यू।नट–भारत	17 (17)
अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष		आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
20			1.	बिक्री/सेवाओं से आय	12		
21			2.	अनुदान/सब्सिडीस	13		
22			3.	शुल्क/अभिदान	14		
23			4.	निवेशों से आय (निधियों को अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15		
			5.	रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		
			6.	अर्जित ब्याज	17		
			7.	अन्य आय	18		
			8.	तैयार सामग्रियों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और प्रगतिरत कार्य	19		
				जोड़			
24							
25							
	20 21 22 23 23	20	20 21 22 23 23 24 25	20	20 1. विक्री/सेवाओं से आय 21 2. अनुदान/सब्सिडीस 3. शुल्क/अभिदान 4. निवेशों से आय (निधियों को अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय) 5. रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय 6. अर्जित ब्याज 7. अन्य आय 8. तैयार सामग्रियों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और प्रगतिरत कार्य जोड़	अनुसूची चाल् वर्ष गत वर्ष आय अनुसूची 20 1. विक्री/सेवाओं से आय 12 21 2. अनुदान/सब्सिडीस 13 22 3. शुल्क/अभिदान 14 23 4. निवेशों से आय (निधियों को अंतरित निध्यों से निवेश पर आय) 15 5. रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय 16 8. तैयार सामग्रियों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और प्रगतिरत कार्य 19 जोड़ जोड़	अनुसूत्री चालू वर्ष गत वर्ष आय अनुसूत्री चालू वर्ष 20 1. विक्री/सेवाओं से आय 12 21 2. अनुदान/सिट्सडीस 13 22 3. शुल्क/अिसदान 14 23 4. निवेशों से आय 15 तिधियों को अंतरित निधियों मे निवेश पर आय) 5. रायल्टी, प्रकाशन आदि 16 से आय 17 7. अन्य आय 18 8. तैयार सामग्रियों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और प्रगतिरत कार्य श्रीह्र

नोट:- तुलनपत्र की सभी अनुसूचियां खाते का भाग होंगी।

T.9T	ī	
74	ויו	

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

स्थान:

दिनांक :

फार्म ग [नियम ३(ग**)** देखें]

[ानयम ३(ग) दख]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण 31 मार्च 201 के वर्षांत के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(यूनिट–भारतीय रुपये)

मुख्य लेखा अधिकारी

प्राप्तियां चाल वर्षं मान वर्षं भागात चाल वर्षं मान वर्णं मान वर्षं	प्राप्तियां	चाल वर्ष	गन नर्ष	 	चाल वर्ष	ਸ਼ੁਰੂ ਰੁਖ
(क) नकदी (ख) बैंक में शेष (i) चालू खातों में (ii) साबधि जमा खातों में (iii) बैंक बचत जमा खातों में (iii) बैंक बचत जमा खातों में (ii) बैंक बचत जमा खातों में 2. प्राप्त अनुदान (i) भारत सरकार से (क) अनुदान-सहायता वेतन (ख) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान (ख) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान (ख) अनुदान-महायता-स्वावलंबन अंशदान (ख) अनुदान-महायता-सवावलंबन अंशदान (ख) अनुदान-महायताचे के अन्य प्रच्याओं के खिरी (ख) कि प्रचार अवाओं के अन्य प्रवातों के अन्य प्रवाताओं के खिरी प्रभार(ब्याआ) (क) वैंक प्रमार(ब्याआ) (क) वैंक प्रमार(ब्याज) (क) अनुद्यति (खेलेब करें) (क) वृंदिक (ख) अनुदान (ख) अनुदान-सहायताचेताचे के अन्य प्रवाताओं के खिरी प्रमार(ब्याज) (क) अनुवान-महायताचेताचे के अन्य प्रवाताओं के खिरी प्रमार(ब्याज) (क) अनुवान-सहायताचेताचे के अन्य प्रवाताओं के खिरी प्रमार(ब्याज) (क) अनुवान-पहायताचे विंच खिरी प्रमार(ब्याज) (क) अनुवान-पहायताचे के अन्य प्रवातोओं के खिरी प्रमार(ब्याज) (क) अनुवान-पहायताचे विंच खिरी प्रमार(ब्याज) (क) अनुवान-पहायताचे खिरी प्रमार(ब्याज) (क) अनुवान-पहायताचे के अन्य प्रवातोओं के खिरी प्रमार(ब्याज) (ख) अनुवान-पहायताचे के अन्य प्रवातोओं के खिरी प्रमार(ब्याज) (ख) अनुवान-पहायताचे के अन्य प्रवातोचे के अन्य प्र		चाल वष	<u>গার পাপ</u>	1 व्यय	चालवप	गत वष
(i) चालू खातों में (ii) सावधि जमा खातों में (iii) बैंक बचत जमा खातों में (iii) बैंक बचत जमा खातों में 2. प्राप्त अनुदान (i) भारत सरकार में (ii) अनुदान-सहायता वेतन (iii) अनुदान-सहायता-स्वायलंबन अंशदान (iii) अनुदान-महायता-स्वायलंबन अंशदान (iii) अनुदान-महायता-स्वावलंबन अंशदान (iii) अनुदान-महायता-स्वावलंबन (iii) अनुदान-महायता-सामान्य (iv) अनुदान-महायता-सामान्य (iv) अनुदान-महायता-सामान्य (iv) अनुदान-महायता-सामान्य (iv) अनुदान-पहायता-सामान्य (iv) अनुदान-पहायता-सामान्य (iv) अनुदान-पहायता-सामान्य (iv) अनुदान-पहायता-सामान्य (iv) अनुदान-पहायता-सामान्य (iv) अनुदान-पहायता-सामान्य (iv) अनुदान-पहायता-पाणे वेतन (iv) अन्य (iv)						
(ii) सावधि जमा खातों में (iii) वैंक वचत जमा खातों में (iii) वैंक वचत जमा खातों में 2. प्राप्त अनुदान (i) भारत सरकार से (क) अनुदान-सहायता नेतन (ब) अनुदान-सहायता-सामान्य (ग) अनुदान-सहायता-सामान्य (ग) अनुदान-सहायता-स्वावलंवन (ह) अन्य (iii)राज्य सरकार से (क) अनुदान-सहायता-स्वावलंवन (ह) अन्य (iii)राज्य सरकार से (क) अनुदान-सहायता-सवावलंवन (ह) अन्य (iii)राज्य सरकार से (क) अनुदान-सहायता-सवावलंवन अंशदान (त) अनुदान-सहायता-सवावलंवन अंशदान (व) अनुदान-सहायता-सवावलंवन अंशदान (व) अनुदान-सहायता-सवावलंवन अंशदान (व) अनुदान-सहायता-सवावलंवन अंशदान (व) अनुदान-सहायता-सवावलंवन प्रचार एवं (व) अन्य (व) अन्य प्रमतिरक्त कार्य पर क्वय (व) अनुदान-सहायता-सवावलंवन प्रचार एवं (व) अन्य प्रचाताओं के (व) देविंक प्रधाय (व) स्वाधिकृत विधियां(अन्य निवेश) 4. प्राप्त व्याज (क) वैंक जमाओं पर (व) अन्य (व) अन्य (व) अन्य (व) अन्य (व) अन्य प्रगतान (उन्लेख करें) (क) वैंक प्रसायों को ऋण/अग्निम (त) प्रतिभृति जमा (व) विविध अव्या के किए शुल्क (व) विविध आय (व) कमंचारियों को ऋण/अग्निम (व) प्रवेत से (व) वैंक में शेष (i) चालू खातों में (ii) सावधि जमा खातों में (iii) वैंक वचत जमा खातों में (iiii) वैंक वचत जमा खातों में	(ख) बैंक में शेष			(ख) प्रशासनिक		
(iii) बैंक वचत जमा खातों में 2. <u>प्राप्त अनुदान</u> (i) भारत सरकार से (ख) अनुदान-सहायता वेतन (ख) अनुदान-सहायता-स्वाबलंबन अंशदान (ख) अनुदान-सहायता-स्वाबलंबन अंशदान (ख) अनुदान-सहायता-स्वाबलंबन अंशदान (ख) अनुदान-सहायता-स्वाबलंबन अंशदान (ख) अनुदान-महायता वेतन (ख) अनुदान-महायता वेतन (ख) अनुदान-महायता वेतन (ख) अनुदान-सहायता-स्वाबलंबन अंशदान (ख) अनुदान-सहायता-स्वाबलंबन प्रचार एवं (ङ) अन्य (आ) अन्य प्रचार प्रचार एवं (ङ) अन्य (क) निर्धारीत/अक्षय निर्धियां (ख) अन्य प्रचार प्रचार एवं (ङ) अन्य (क) निर्धारी से (विवरण) (पूंजी एवं अन्य प्रचार अस्व निर्धयां (ख) स्वाधिकृत निर्धियां (अन्य निर्वेश) 4. प्राप्त क्याज्ञ (क) विविध प्रचार प्रणाली ट्रस्ट के लिए अनुदान (ख) अन्य पर्व पूर्णी प्रपतिरत कार्य पर (ख) अच्य अस्व अस्तियों के खरीद (ख) प्रजी प्रपतिरत कार्य पर व्यय (ख) राज्य सरकार को (ग) निर्धियों के अन्य प्रदाताओं को (अन्य सरकार को (ग) निर्धियों के अन्य प्रदाताओं को (अन्य स्वयाज (उल्लेख करें) (क) पूर्वेदत्त (ख) कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम (ग) प्रतिभूति जमा (ख) विविध आय (क) निर्ध प्रचार प्रणाली ट्रस्ट के लिए अनुदान (ख) प्रचार प्रणाली ट्रस्ट के लिए अनुदान (क) निर्ध प्रोण प्रणाली ट्रस्ट के लिए अनुदान (क) निर्ध पर्य प्रमितिरां अस्व अविध पर व्यय (क) प्रचार प्रणाली ट्रस्ट में वस्प पर (ख) अच्य सरकार को (ख) अच्य सरकार को (ख) अच्य सरकार को (ख) राज्य सरक	(i) चालू खातों में			2. प्रयोज्य अनुदान		
2. प्राप्त अनुदान (i) भारत सरकार से (क) अनुदान-सहायता वेतन (ख) अनुदान-सहायता-स्वायलंबन अंशदान (ख) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान (ख) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान (ख) अनुदान-महायता-स्वावलंबन अंशदान (ख) अनुदान-महायता-महायता वेतन (ख) अनुदान-महायता वेतन (ख) अनुदान-महायता वेतन (ख) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान (ख) अन्य अतिरों से (विवरण) (पूंजी एवं अत्य प्राप्ति इस्ट से वसूली योग्य (ख) राज्य सरकार को (ख) राज्य सरकार को (ख) राज्य सरकार को (ख) निध्यों के अन्य प्रदाताओं को 8. वित्रीय प्रभार(ब्याज) (क) वैंक प्रभार (ख) अन्य 7. अन्य अग्यता (उल्लेख करें) (क) वैंक जमाओं पर, (ग) अन्य 5. अन्य आय (उल्लेख करें) (क) विविध आय 6. उद्यार सी गई राषि (क) प्रविदान (ख) विविध आय 6. उद्यार सी गई राषि (क) प्रविदान (क) प्रविद्याना अग्र प्रविदान (क) प्रविद्याना प्रवाद प्रविद्यान। (क) निध्य प्रविद्यान। (क) निध्य प्रविद्यान। (क) निध्य निध्य प्रविद्यान। (क) निध्य प्रविद्यान। (क) निध्य निध्य प्रविद्यान। (क) प्रविद्यान। (क) निध्य प्	(ii) सावधि जमा खातों में			(क) स्वावलंबन अंशदान		
(i) भारत सरकार से (क) अनुदान-सहायता वेतन (ख) अनुदान-सहायता-सामान्य (ग) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान (ख) अनुदान-अंशदान-सहायता-स्वावलंबन (ख) अनुदान-अंशदान-महायता-स्वावलंबन (ख) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन (ख) अनुदान-सहायता-महायता-स्वावलंबन (ख) अनुदान-सहायता-सामान्य (ण) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान (ख) अन्वदान-प्रहायता-स्वावलंबन अंशदान (ख) अन्वदान-प्रहायता-स्वावलंबन प्रचार एवं (ङ) अन्य (क) निर्धारित/अक्षय निधियां (ख) स्वाधिकृत निधियां(अन्य निवेश) 8. शिंतीय प्रभार(स्वाज) (क) वैंक प्रभार (ख) अन्य 7. अन्य भुगतान (उल्लेख करें) (क) विविध सेवाओं के लिए शुल्क (ख) विविध आय 6. प्रवार निर्धा (ख) अन्य खातों में (ख) अन्य खातों में (ख) अन्य खातों में (ख) अन्य आवातों में (ख) अन्य खातों में	(iii) बैंक बचत जमा खातों में			(ख) स्वावलंबन प्रचार		
(क) अन्दान-सहायता वेतन (ख) अनुदान-सहायता-सामान्य (ग) अनुदान-सहायता-सवावलंवन अंशदान (ছ) अनुदान-महायता-सवावलंवन अंशदान (ছ) अनुदान-महायता-सवावलंवन अंशदान (ह) अन्य (ह) अनुदान-सहायता-स्वावलंवन अंशदान (ह) अनुदान-सहायता-सवावलंवन अंशदान (ह) अनुदान-सहायता-सवावलंवन अंशदान (ह) अनुदान-सहायता-सवावलंवन (ह) अनुदान-सहायता-सववलंवन (ह) अनुदान-सहायता-सववलंवन (ह) अनुदान-सहायता-सववलंवन-सवलंवन (ह) अनुदान-सहायता-सवलंवन-	2. <u>प्राप्त अनुदान</u>			(ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के लिए अनुदान		
	(क) अनुदान-सहायता वेतन (ख) अनुदान-सहायता-सामान्य (ग) अनुदान-सहायता-सामान्य (ग) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान (घ) अनुदान-अंशदान-सहायता-स्वावलंबन (इ) अन्य (ii)राज्य सरकार से (क) अनुदान-सहायता वेतन (ख) अनुदान-सहायता-सामान्य (ग) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान (घ) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन प्रचार एवं (इ) अन्य (iii) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजी एवं 3. निवेश पर आय (क) निर्धारित/अक्षय निधियां (ख) स्वाधिकृत निधियां(अन्य निवेश) 4. प्राप्त ब्याज (क) बैंक जमाओं पर, (ग) अन्य 5. बन्य आय (उल्लेख करें) (क) विविध सेवाओं के लिए शुल्क (ख) विविध आय 6. उधार ली गई राशि 7. कोई अन्य प्राप्तियां (क) प्रतिभूति/बयाना जमा राशि (ख)अग्रिम का प्रतिदान			3. किये गये निवेश एवं जमा (क) निर्धारित/अक्षय निधि में से (ख) स्वाधिकृत निधियों में से(निवेश-अन्य) 4. अचल आस्तियों एवं पूंजी प्रगतिरत कार्य पर (क)अचल आस्तियों की खरीद (ख) पूंजी प्रगतिरत कार्य पर व्यय 5. अतिशेष राशि/ऋणों का प्रतिदान (क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से वसूली योग्य (ख) राज्य सरकार को (ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को 6. वित्तीय प्रभार(ब्याज) (क) बैंक प्रभार (ख) अन्य 7. अन्य भुगतान (उल्लेख करें) (क) पूर्वदत्त (ख) कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम (ग) प्रतिभूति जमा 8. अंतिम शेष (क) नकदी (ख) बैंक में शेष (i) चालू खातों में (ii) सावधि जमा खातों में		
				जोड़		

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया कोरपस / पूंजीगत निधियां

(यूनिट-रुपये)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के प्रारंभ	की स्थिति के अनुसार शेष राशि 		
जोड़	: अप्रयोज्य कोरपस निधि का प्रारंभिक शेष		
घटाना	: अप्रयोज्य कोरपस निधि का अंतिम शेष		
जमा/घटाना	: आय एवं व्यय से अंतरित निवल आय/व्यय का शेष		
जमा	: सरकार का अनुदान जिसे सरकार से प्राप्त किया जाना है/आय एवं व्यय खाते से अंतरित किया जाना है।		
	वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार शेष राशि		

TST	T = 1
791	ויו.

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 2

31 मार्च, 201 <u>आरक्षित एवं अधिशेष</u>

की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. आरक्षित पूंजी		
(क) इस वर्ष के प्रारंभ में		
(ख) इस वर्ष के दौरान शामिल किया गया		
(ग) घटाना : इस वर्ष के दौरान कटौती		
2. <u>आरक्षित निधियों का पुनर्मूल्यन</u>		
(क) इस वर्ष के प्रारंभ में		
(ख) इस वर्ष के दौरान शामिल किया गया		
(ग) घटाना : इस वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष आरक्षित निधि		
(क) इस वर्ष के प्रारंभ में		
(ख) इस वर्ष के दौरान शामिल किया गया		
(ग) घटाना : इस वर्ष के दौरान कटौती		

มงา	. a
(M	

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 3

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया निर्धारित/अक्षय निधियां

(यूनिट-भारतीय रुपये)

	निधि-वा	 र ब्यौरा	,	<u> </u>
विवरण	निधि	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
	XX	YY		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1. निधियों का प्रारंभिक शेष				
2. निधियों में परिवर्धन				
(क) दान/अनुदान				
(ख) निधियों के खातों में किए गए निवेश पर आय				
(ग) अन्य योग (प्रकृति स्पष्ट करें)				
जोड़ (1+2)				
3. निधियों के उद्देश्य की ओर उपयोग/व्यय				
(क) पूंजीगत व्यय				
(i) अचल आस्तियां				
(ii) अन्य				
योग				
(ख) राजस्व व्यय				
(i) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता आदि				
(ii) किराया				
(iii) अन्य प्रशासनिक व्यय				
योग				
योग (3)				
वर्ष के अंत में निवल शेष (1+2-3)				

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

नोट:-(1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार प्रासंगिक शीर्षकों के तहत प्रकटीकरण किया जाएगा।

(2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त प्लान निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किसी अन्य निधियों के साथ न मिला जाए।

स्थान:		
दिनांक :		मुख्य लेखा अधिकारी
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 4

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया जमानती ऋण एवं उधार

(यूनिट-भारतीय रुपये)

		(31.13 11.711.4.714)
विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. वित्तीय संस्थाएं		
(क) मियादी ऋण		
(ख) उपचित ब्याज एवं देय		
4. बैंक		
(क) मियादी ऋण		
- उपचित ब्याज एवं देय		
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)		
- उपचित ब्याज एवं देय		
5. अन्य संस्थाएं		
6. डिबेंचर एवं बांड		
7. अन्य		
योग		
नोट ∶ एक वर्ष के भीतर देय राशि	.1	1

दिनांक :		मुख्य लेखा अधिकार्र
सदस्य	सदस्य	अश्यक

स्थान:

अनारक्षित ऋण एवं उधार

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 5

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
(क) मियादी ऋण		
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)		
5. अन्य संस्थाएं		
6. डिबेंचर एवं बांड		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		
नोट∶एक वर्ष के भीतर देय राशि		<u> </u>

स्थान:		
दिनांक :		मुख्य लेखा अधिकारी
ਸਕਸ	ਸਟਾਸ	भ्राट्या

अनुसूची 6

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

आस्थगित ऋण देयता

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. पूंजी उपकरण एवं अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्राप्त		
स्वीकृतियां		
2. अन्य		
योग		
<u>नोट</u> ∶ एक वर्ष के भीतर देय राशि		•

स्थान:		
दिनांक :		
		मुख्य लेखा अधिकारी
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 7

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(यूनिट-भारतीय रुपये)

<u></u>		(31.10 11.2014)
विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां		
2. विविध लेनदार		
3. प्राप्त अग्रिम		
4. उपचित किंतुको अदेय ब्याज:		
(क) जमानती ऋण/उधार		
(ख) गैर-जमानती ऋण/उधार		
5. सांविधिक देयता:		
(क) अतिदेय		
(ख) अन्य		
6. अन्य वर्तमान देयता		
(क) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अप्रयोज्य अनुदान जो भा.स. को देय है।		
(ख) अन्य		
योग		

<u>प्रावधान</u>	
1. कर-निर्धारण के लिए	
2. उपदान	
3. ट्रेड वारंटी/ दावे	
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	
5. देय पेंशन अंशदान	
6. देय छुट्टी वेतन	
7. अन्य (स्पष्ट करें)	
योग	
कुल योग	

TOT	т.	
~~	-	

दिनांक : सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 8

31 मार्च, 201

की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

अचल आस्तियां

(यूनिट भारतीय रुपये)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्नास			निवल ब्लॉक		
विवरण	वर्षारंभ की स्थिति के अनुसार लागत/ मूल्यांकन		वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति के अनुसार लागत/ मूल्यांकन	वर्षारंभ की स्थिति के अनुसार	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियांr	वर्षांत तक योग	चालू वर्ष की स्थिति के अनुसार	गत वर्ष की स्थिति के अनुसार
अचल आस्तियां										
1 भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व										
(ख) पट्टे पर दिया गया										
2. मकान :										
(क) पूर्णस्वामित्व वाले भूमि										
पर										
(ख) पट्टे पर दिए गए भूमि										
पर										
(ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर										
(घ) कंपनी से संबंधित भूमि										
पर सुपरस्ट्रक्चर										
3. प्लांट मशीनरी एवं										

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

-					_			_	_	
उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर एवं फिक्स्चर										
6. कार्यालयी उपस्कर										
7. कंप्यूटर/पेरिफेरल										
8. विद्युतीकरण										
9. पुस्तकालयी किताबें										
10.अन्य अचल आस्ति										
चालू वर्ष का योग										
पूर्व वर्ष										
प्रगतिरत कार्य पूंजी										
योग										
उपर्युक्त में शामिल किराया, ख	रीद आधार प	गर आस्तिय	ों की लागत	के बारे में	टिप्पणी ि	देया जा	ना है।			

T9T	T = 1

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 9

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

निर्घारित/अक्षय निधियों से निवेश

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बांड		
5. समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (जिसे स्पष्ट किया जाना है)		
योग		

TOT.	тя.	
74	u.	

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

निवेश – अन्य

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बांड		
5. समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (जिसे स्पष्ट किया जाना है)		
योग		

स्थान:

दिनांक : सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 11

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(यनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	ट भारताय रुपय गत वर्ष
<u>(क). वर्तमान आस्तियां</u>		
1. सूचियां ∶		
(क) स्टोर एवं स्पेयर्स		
(ख) खुले उपकरण		
(ग) व्यापार में स्टॉक		
तैयार सामग्री		
प्रगतिरत – कार्य		
कच्चा माल		
2. विविध लेनदार:		
(क) छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
(ख) अन्य		
3. नकदी		
4. बैंकों में शेष राशि:		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ :		

	1	1
(i) चालू खातों में		
(ii) मियादी जमा खातों में		
(iii) बचत बैंक जमा खातों में		
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:		
(i) चालू खातों में		
(ii) मियादी जमा खातों में		
(iii) बचत बैंक जमा खातों में		
5. डाकघर-बचत खाते		
6. अन्य		
योग (क)		
<u>(ख). ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां</u>		
1. ऋण:		
(क) कर्मचारी		
(ख) अन्य संस्थाएं जो संस्था के समान कार्यक्रमों/उद्देश्यों में लगे हुए हैं		
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)		
2. नकदी में या वस्तु में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि:		
(क) पूंजी खाते में		
(ख) पूर्व-भुगतान		
(ग) प्रतिभूति जमा		
(घ) अन्य		
3. उपचित आय:		
(क) निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश		
(ख) निवेश अन्य		
(ग) ऋण एवं अग्रिम		
(घ) अन्य (अप्राप्य देय आय रुपये शामिल है)		
4. प्राप्य दावे		
योग (ख)		
कुल योग (क) + (ख)		
- स्थान:		

दिनांक :		मुख्य लेखा अधिकारी
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

दिनांक 31.03, 201 बिक्री/सेवाओं से आय

को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(यूनिट- भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1) बिक्री से आय		
(क) तैयार मालों की बिक्री		
(ख) कच्चे माल की बिक्री		
(ग) अवशिष्ट (स्क्रैप) की बिक्री		
(2) <u>सेवाओं से आय</u>		
(क) श्रम एवं प्रसंस्करण शुल्क		
(ख) पेशेवर/परामर्शी सेवाएं		
(ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
(घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)		
(ड़) अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 13

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया अनुदान/सब्सिडी

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्राप्त किए गए अविकल्पी अनुदान एवं सब्सिडी		
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसिंयां		
4. संस्थान/कल्याण निकाय		
5. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं		
6. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

T_{OL}	r =	
त्त्व	ıп	٠

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची 14

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया शुल्क/अभिदान

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान		
3. संगोष्ठी /कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्शी शुल्क		
5. लाइसेंस शुल्क		
6. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

TOT.	T =	г٠

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 15

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया निवेशों से आय

निधियों की अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	निर्धारित नि	ोधि से निवेश		ा-अन्य
विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. ब्याज				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
(ख) बांडों/डिबेंचरों पर				
(ग) अन्य				
2. लाभांश				
(क) शेयरों पर				
(ख) म्युचुअल फंड पर				
(ग) अन्य				
3. किराया				
4. अन्य (स्पष्ट करें)				
योग				
निर्धारित/अक्षय निधि में अंतरित				

स्थ	न	:

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची 16

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया <u>रोयल्टी, प्रकाशन आदि से आय</u>

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रोयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		
3. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:		
दिनांक :		मुख्य लेखा अधिकारी
ਸਟਸ	ਸਟਾਸ	अस्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 17

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया अर्जित ब्याज

(यूनिट भारतीय रुपये)

	1	(31.10 11.2014 214)
विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. मियादी जमा खातों पर		
(क) अनुसूचित बैंकों से		
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों से		
(ग) संस्थाओं से		
(घ) अन्य		
2. बचत बैंक जमा खातों पर:		
(क) अनुसूचित बैंकों से		
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों से		
(ग) डाकघर बचत खाते		
(घ) अन्य		
3. ऋणों पर:		
(क) कर्मचारी / स्टाफ		
(ख) अन्य		
4. ऋणों एवं प्राप्य राशियों पर ब्याज		
योग		
स्रोत पर कर - कटौती को सूचित किया जाता है।		

स्थान:		
दिनांक :		मुख्य लेखा अधिकारी
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

अनुसूची 18

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया अन्य आय

(यूनिट- भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. आस्तियों की बिक्री/ निपटान पर लाभ		
(क) स्वाधिकृत आस्तियां		
(ख) अनुदानों से अर्जित या नि:शुल्क प्राप्त आस्तियां		
2. प्राप्य निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं हेतु शुल्क		
4. विविध आय		
योग		

Tex	та	٠.
74	ויו	

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 19

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया तैयार सामग्रियों के स्टॉक एवं प्रगतिरत कार्यों में वृद्धि/(कमी)

(यूनिट- भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार सामग्रियां		
- प्रगतिरत कार्य		
(ख) घटाव : प्रारंभिक शेष		
- तैयार सामग्रियां		
- प्रगतिरत कार्य		
निवल वृद्धि/(कमी) [(क)-(ख)]		

ToT.	ra·
79	. ויו

दिनांक : मुख्य लेखा अधिकारी

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया स्थापना व्यय

(यूनिट- भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. वेतन एवं मजदूरी		
2. भत्ते एवं बोनस		
 भविष्य निधि हेतु अंशदान अन्य निधि हेतु अंशदान (स्पष्ट करें) कर्मचारी कल्याण व्यय कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवा निवृत्ति लाभ पर व्यय छुट्टी वेतन शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति 		
9. मेडिकल प्रतिपूर्ति		
10. उपदान अंशदान		
11. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:		
दिनांक :		मुख्य लेखा अधिकारी
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 21

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया अन्य प्रशासनिक व्यय

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. खरीद		
2. श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय		
3. आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन		
4. विद्युत एवं शक्ति		
5. जल प्रभार		
6. बीमा		
7. मरम्मत एवं रखरखाव		

	ı
8. उत्पाद शुल्क	
9. किराया, दर एवं कर	
10. वाहन चालन एवं रखरखाव	
11. डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	
12. मुद्रण और स्टेशनरी	
13. यात्रा एवं वाहन व्यय	
14. संगोष्ठी/वर्कशाप/बैठकें एवं सम्मेलनों पर व्यय	
15. अभिदान व्यय	
16. शुल्कों पर व्यय	
17. लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक	
18. आतिथ्य व्यय	
19. पेशेवर प्रभार	
20. पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	
21. भर्ती व्यय	
22. खराब एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	
23. संग्राहक को प्रोत्साहन	
24. स्वावलंबन सरकारी अंशदान	
25. स्वावलंबन प्रचार	
26. उपस्थिति स्थल हेतु प्रोत्साहन	
27. बट्टेखाते डाले गए अशोध्य शेष	
28. पैकिंग प्रभार	
29. मालभाड़ा एवं अग्रेषण प्रभार	
30. वितरण व्यय	
31. विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	
32. अन्य (स्पष्ट करें)	
योग	

स्थान:

दिनांक : सदस्य मुख्य लेखा अधिकारी

-अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 22

सदस्य

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

अनुदान सब्सिडी आदि पर व्यय

(यूनिट- भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. संस्थाओं/संगठनों/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को दिए गए अनुदान		
2. संस्थाओं/ संगठनों को दी गई सब्सिडी		
3. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

EST	Та	
~~	ויו	

दिनांक :

मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया <u>ब्याज</u>

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. नियत ऋणों पर		
2. अन्य ऋणों पर		
3. बैंक प्रभार		
4. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:		
दिनांक :		मुख्य लेखा अधिकारी
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 24

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार खातों में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 25

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार खातों में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

आकस्मिक देयता एवं लेखाओं पर टिप्पणी

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

[फा. सं. 11/8/2014-पीआर]

डॉ. शशांक सक्सेना,आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2015

- **G.S.R. 519(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 51, read with sub-section (1) of Section 42 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules, namely:—
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);
 - (b) "Form" means a form appended to these rules;
 - (c) "Schedule" means a Schedule appended to the Form;
- (d) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. **Annual statement of accounts and other relevant records.**—At the expiration of a period of twelve months ending with the 31st March of every year, the Authority shall prepare with reference to that period, a balance-sheet, an income and expenditure account and receipt and payment account in the Forms as specified below, namely:-
- (a) the Balance-Sheet in Form "A";
- (b) the Income and Expenditure Account in Form "B";
- (c) the Receipt and Payment Account in Form "C".
- 4. **Maintenance of accounts, etc.**—The Authority shall preserve the Balance-Sheet, the Income and Expenditure Account and the Receipt and Payment Account referred to in rule 3, for a minimum period of five years following the financial year to which they relate.
- 5. **Authorised Signatory.**—The Balance-Sheet, Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account and the Schedules appended thereto shall be signed by the Chief Account Officer of the Authority, Chairperson and two members of the Authority.

FORM A [See rule 3 (a)] PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

|--|

(Unit-INDIAN RUPEE)

					(Unit–INDIA	IN KUPEE)
Liabilities	Schedule	Current	Previous	Assets	Schedule	Current	Previous
Ziasineres	Schedule	year	year		Schedule	year	year
1.Corpus /	1			1. Fixed assets	8		
Capital fund							
				Gross Block			
				Less: Depreciation			
				Net Block			
2. Reserves and	2			2. Investments from	9		
surplus				Earmarked /			
r				Endowment Fund			
3. Earmarked/	3			3. Investments-Others	10		
Endowment							
funds							
4. Secured loans	4			4. Current assets,	11		
and	-			Loans, Advances etc.			
borrowings							
5. Unsecured	5			5. Miscellaneous			
loans and				expenditure (to the			
borrowings				extent not written off			
oone wings				or adjusted)			
6. Deferred credit	6			or adjusted)			
liabilities							
7. Current	7						
liabilities and	,						
provisions							

Total			Total		
Significant Accounting Policy	24				
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25				

Note: - All Schedules to Balance Sheet shall form part of Account.

Place:

Date: Chief Accounts Officer

Member Member Chairperson

FORM B

[See rule 3(b)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

THE INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED AT 31ST MARCH, 201__

(Unit INDIAN RUPEE)

Expenditure	Schedule	Previous year	Income	Schedule	Previous year
Establishment Expenses	20		1. Income from Sales/Services	12	
Other Administrative expenses etc.	21		2. Grants/Subsidies	13	
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22		3. Fee/Subscription	14	
4. Interest	23		Income from Investments (Income on investment from earmarked/ endowment Funds transferred to Funds)	15	
5. Depreciation (Net Total at the year end – corresponding to Schedule 8)			5. Income from Royalty, Publications etc.	16	
			6. Interest Earned	17	
			7. Other Income	18	
			8. Increase/(decrease) in stock of Finished goods and Work-in-progress	19	
Total			Total		
Balance being excess of Income over Expenditure					
Transfer to Special Reserve (specify each)	7				
Transfer to/from General Reserve					
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO					
CORPUS/CAPITAL FUND					
Significant Accounting Policy	24				
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25				

Notes :- All Schedules to Income and Expenditure Account shall form part of account.

Place:

Date: Chief Accounts Officer

Member Member Chairperson

FORM C

[See rule 3(c)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,201_____(Unit – INDIAN RUPEE)

					N RUPEE)
Receipts	Current year	Previous year	Payment	Current year	Previous year
1. Opening Balances			1. Expenses		
(a) Cash in hand]	Ì	(a) Establishment Expenses (Schedule)		
(b) Bank Balances			(b) Administrative		
(i) In Current accounts			2. Grants Utilised		
(ii) In Time Deposit accounts			(a) Swavalamban Contribution		
(iii) In Saving Bank deposit accounts			(b) Swavalamban Promotion		
2. Grants Received(i) From Government of India			(c) Grant to National Pension system Trust		
(a) Grant-in-aid Salaries			(d) Others		
(b) Grant-aid-General			3. Investments and deposits made		
(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution			(a) Out of Earmarked/Endowment funds		
(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional and Development activities			(b) Out of Own Funds (Investments-Others)		
(e) Others			4. Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-progress		
(ii) From State Government			(a) Purchase of Fixed Assets		
(a) Grant-in-aid Salaries			(b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
(b) Grant-aid-General			5. Refund of surplus money/Loans		
(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution			(a) Recoverable from National pension system trust		
(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional and Development activities			(b) To the State Government		
(e) Others (iii) From Other Sources (details) (Grants for Capital and revenue expenditure to be shown separately)			(c) To other providers of funds		
3. Income on Investments			6.Finance Charges (Interest)		
(a) Earmarked/Endowment Funds			(a) Bank charges		
(b) Own Funds (other investment)			(b) Others		
4. Interest Received			(a) Prepaid		
(a) On Bank deposits(b) Loans, Advances etc.			(b) Loan/ Advance to employees		
(c) Others			(c)Security Deposits		
5. Other Income (Specify)			8. Closing Balances		
(a) Fees for Miscellaneous services			(a) Cash in hand		
(b) Miscellaneous Income			(b) Bank Balances		
6. Amount Borrowed 7. Any Other receipts			(i) In Current accounts		
(a) Security/Earnest Money Deposit			(ii) In Time Deposit accounts		
(b) Refund of Advance			(iii) In Saving Bank Deposit		
(c) Others					
Total			Total		
		I		I	

Place:

Date:

Member Member Chief Accounts Officer Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 1

ATTACHED TO AN

D FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 201_____

CORPUS/CAPITAL FUND

(Unit – INDIAN RUPEE)

			(
	Particulars	Current year	Previous year
Balance as at	the beginning of the year		
Add	: Opening Balance of unutilized corpus fund		
Less	: Closing Balance of unutilised corpus fund		
Add/Deduct	: Balance of net income/expenditure transferred from the Income and Expenditure		
Add	: Government Grant to be received from Government/transferred from the Income and Expenditure Account Balance as at the year end		

Place: Date:

Chief Accounts Officer

Chairperson

Member Member

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 2 ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 201__

RESERVES AND SURPLUS

		(Unit – INDIAN RUPEE)
Particulars	Current year	Previous year
1. Capital Reserve		
(a) At the beginning of the year		
(b) Addition during the year		
(c) Less: Deductions during the year		
2. Revaluation Reserve		
(a) At the beginning of the year		
(b) Addition during the year		
(c) Less: Deductions during the year		
3. Special Reserve		
(a) At the beginning of the year		
(b) Addition during the year		
(c) Less: Deductions during the year		
(b) Addition during the year		
(c) Less: Deductions during the year		
4. General Reserve		
(a) At the beginning of the year		
(b) Addition during the year		
(c) Less: Deductions during the year		
Total		

Place:	
Date:	

Chief Accounts Officer Chairperson

Member Member

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 3

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Unit – INDIAN RUPEE)

Fund wise break up		Current	
Fund XX	Fund YY	year	Previous year
	Fund	up Fund Fund	rund Fund Current year

Notes:-(1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

(2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

Place:		
Date:		Chief Accounts Officer
Member	Member	Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 4

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201____

SECURED LOANS AND BORROWINGS

Member

(Unit - INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
Central Government		
2. State Government		
3. Financial Institutions		
(a) Term Loans		
(b) Interest accrued and due		
4. Banks		
(a) Term Loans -Interest accrued and due		
(b) Other Loans (specify)-Interest accrued and due		
5. Other Institutions		
6. Debentures and Bonds		
7. Others		
Total		
Note : Amount due within one year		

Place:	
Date:	Chief Accounts Officer
	Chief Accounts Officer

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY **SCHEDULE 5**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201___ **UNSECURED LOANS AND BORROWINGS**

Member

(Unit – INDIAN RUPEE)

Chairperson

Particulars	Current year	Previous year
Central Government		
2. State Government		
3. Financial Institutions		
4. Banks		
(a) Term Loans		
(b) Other Loans (specify)		
5. Other Institutions		
6. Debentures and Bonds		

7. Fixed deposits	
8. Others (specify)	
Total	
Note : Amount due within one year	

Place: Date:

Chief Accounts Officer

Member Member Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 6

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201______ DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
Acceptances secured by hypothecation of Capital Equipment and Other Assets		
Equipment and Other Assets		
2. Others		
Total		
Note: Amount due within one year		

Place	:
Date	:

Chief Accounts Officer

Member Member Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 7

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201______ CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Unit - INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances		
2. Sundry Creditors		
3. Advances Received		

4. Interest Accrued but not Due on :		
(a) Secured Loans / Borrowings		
(b) Unsecured Loans / Borrowings		
5. Statutory Liabilities :		
(a) Overdue		
(b) Others		
6. Other Current Liabilities		
(a) Unutilised grant as at 31st March payable to GOI		
(c) Others		
TOTAL		
PROVISIONS		
1. For Taxation		
2. Gratuity		
3. Trade Warranties/Claims		
4. Accumulated Leave encashment		
5. Pension Contribution Payable		
7. Leave salary payable		
8. Others (specify)		
TOTAL		
GRAND TOTAL		
Dlagar	<u> </u>	

Date: Chief Accounts Officer

Member Member Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 8

(Unit – INDIAN RUPEE)

										,
		GROSS	BLOCK		DEPRECIATION			NET BLOCK		
DESCRIPTION	Cost/Valuation as at beginning of the year		Deductions during the year	Cost/Valuation as at the year- end	beginning of the	For the year	during the	Total upto year end	As at the Current year	As at the previous year
FIXED ASSETS										
1. Land :										
(a) Freehold										
(b) Leasehold										
2. Buildings :										
(a) On Freehold Land										
(b) On Leasehold Land										
(c) Ownership Flats/ Premises										
(d) Superstructures on Land not belonging to the entity										
3. Plant Machinery and Equipment										
4. Vehicle										
5. Furniture and Fixtures										
6. Office equipments										
7. Computer/ Peripherals										
8. Electrical Installations										
9. Library Books										
10. Other Fixed Assets										
TOTAL OF CURRENT YEAR										
PREVIOUS YEAR										
Capital Work-in-progress		<u> </u>	<u> </u>	I	<u>l</u>	l		1		
Total										
Note to be given as to cost of	of assets on hire pu	rchase basis	included abo	ove.						

Place: Date :			Chief Accounts Officer
	Member	Member	Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY **SCHEDULE 9**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
Government securities		
2. Other approved securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint ventures		
6. Others (to be specified)		
Total		

Place: Date :		Chief Accounts Officer
Member	Member	Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 10

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201

INVESTMENTS-OTHERS	S
--------------------	---

(Unit - INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities		
2. Other approved securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint ventures		
6. Others (to be specified)		
Total		

Place: Date:		
240		Chief Accounts Officer
Member	Member	Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 11

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201______CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	DIAN RUPEE) Previous
	Current year	year
(A). CURRENT ASSETS		
1. Inventories:		
(a) Stores and Spares(b) Loose Tools		
(c) Stock-in-Trade		
Finished Goods		
Work-in-Progress Raw Materials		
2. Sundry Debtors:		
(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
(b) Others		
3. Cash in hand		
4. Bank Balances:		
(a) with Scheduled Banks:		
(iv) On Current Accounts		
(v) On Time Deposit Accounts		
(vi) On Savings Bank Deposit Accounts		
(b) with Non-Scheduled Banks:		
(iv) On Current Accounts		
(v) On Time Deposit Accounts		
(vi) On Savings Bank Deposit Accounts		
5. Post Office-Savings Accounts		
6. Others		
TOTAL(A)		
(B). LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS:		
1. Loans:		
(a) Staff		
(b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of		
the Entity		
(c) Others (specify)		
Advances and Other Amounts Recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
(a) On Capital Account		
(b) Prepayments		
(c) Security Deposits		
(d) Others		
3. Income Accrued :		
(a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds		
(b) On Investments – Others		
(c) On Loans and Advances		
(d) Others (includes income due unrealized ₹)		
4. Claims Receivable		
Total (B) Crond Total (A) + (P)		
Grand Total (A) + (B)		

Place: Date:

Chief Accounts Officer

Member Member Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 12

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201____

INCOME FROM SALES/SE	ERVICES
----------------------	---------

(Unit-INDIAN RUPEE)

	Particulars	Current year	Previous year
(1) Income from	m Sales		
(a)	Sale of Finished goods		
(b)	Sale of Raw Material		
(c)	Sale of Scraps		
(2) Income from	m Services		
(a)	Labour and Processing Charges		
(b)	Professional/Consultancy Services		
(c)	Agency Commission and Brokerage		
(d)	Maintenance Services (Equipment/Property)		
(e)	Others (Specify)		
	Total		

Place: Date:		
Date.		Chief Accounts Officer
Member	Member	Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 13

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201_____

GRANT / SUBSIDIES

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
Irrevocable Grants and Subsidies Received		
1. Central Government		
2. State Government		
3. Government agencies		
4. Institution / Welfare bodies		
5. International Organisations		
6. Others (specify)		
Total		

Place:			
Date :			
			Chief Accounts Officer
	Member	Member	Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 14

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201

FEES / S	<u>UBSCRIPTIONS</u>	ENDING AT 31.0	J.201	(Unit – IN	NDIAN RUPEE)
	Particulars		Current	year Pre	evious year
6. Entrance I					
	es /Subscriptions				
	Program Fee				
 Consultan Licence fe 					
7. Others (spe					
Total	ctity)				
10001					
Place:					
Date:				~	
				Chief Ac	ecounts Officer
Member	N	I ember	Chai	rperson	
Wichioci	17.	icilioci	Citai	rperson	
	PENSION FUND REGI	ULATORY AND	DEVELOPMENT	AUTHORITY	
	TEMBER TOTAL	SCHEDULE			
ATTACHED	TO AND FORMING PAI			TURE ACCOUNT	FOR THE
	YEAR	ENDING AT 31.0	3.201		
NCOME ERON	M INVESTMENTS				
Income on Inves	tments from Earmarked/End	owment Funds tra	nsferred to Funds)		
	v• 11 0 111 2 41 111 41 11 6 6 7 2 11 6			(Unit – IN	NDIAN RUPEE)
		Investment fr	om Earmarked	Investmen	at Othons
Particulars			ınd		
		Current year	Previous year	Current year	Previous year
1. Interest	0.0				
(a)	On Govt. securities				
(b) (c)	Other Bonds/Debentures Others				
2 Dividend	Outers				

	Particulars		Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
			Current year	Previous year	Current year	Previous year
1.	Interest					
	(a)	On Govt. securities				
	(b)	Other Bonds/Debentures				
	(c)	Others				
2.	Dividend					
	(a)	On Shares				
	(b)	On Mutual Funds				
	(c)	Others				
3.	Rents					
4.	Others (spe	cify)				
To	Total					
Tr	Transferred to					
Ea	Earmarked/Endowment Funds					

Place:			
Date:			
			Chief Accounts Officer
Member	Member	Chairperson	

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 16

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201_____

INCOME FRO	M ROYALTY.	, PUBLICATION ETC.	•	
				(Unit – INDIAN RUPEE
	Particulars		Current year	Previous year
1 Income from Roya				
2 Income from Publi	cations			
3. Others (specify)				
Total				
Place:				
Date:				
				Chief Accounts Officer
	Member	Member	Chairperson	
PEN	NSION FUND 1	REGULATORY AND I	DEVELOPMENT AUTH	IORITY
		SCHEDULE	17	
ATTACHED TO A	ND FORMING	S PART OF INCOME	AND EXPENDITURE A	ACCOUNT FOR THE
	YE	EAR ENDING AT 31.03	.201	
INTEREST EAR	NED			
			T	(Unit – INDIAN RUPEE
	Particulars		Current year	Previous year
1. On Term Deposits A				
\ /	cheduled Bank	· 1		
` '	on Scheduled B	Bank		
(c) with Ir				
(d) Others				
2. On Savings Bank De				
` /	cheduled Bank	Y1		
* *	Ion Scheduled B			
(c) Post O (d) Others	ffice Savings A	ccounts		
3. On Loans:	i			
	yees / Staff			
(b) Others				
4. Interest on Debtors a		vo hl as		
Total	ind Other Receiv	vautes		
Tax deducted at source	to be indicate	h		
tax ucuucicu at sourci	to be mulcate	·u		
Place:				

Date: Chief Accounts Officer Member Member Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY SCHEDULE 18

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201_____

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Profit on Sale/Disposal of Assets		
(a) Owned Assets		
(b) Assets acquired out of grants or received free		
of cost		
2. Export Incentives Realized		
3. Fees for Miscellaneous Services		
4. Miscellaneous Income		
Total		

Ρl	ace	
М	ace	•

Date:

Chief Accounts Officer

Member Member Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 19

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201_____

INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS

(Unit - INDIAN RUPEE)

Current year	Previous year
	Current year

Ρl	ace	:

Date:

Chief Accounts Officer

Member Member Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY **SCHEDULE 20**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201_____

ESTABLISHMENT EXPENSES

(Unit - INDIAN RUPEE)

	Particulars	Current year	Previous year
1.	Salaries and Wages		
2.	Allowances and Bonus		
3. 4. 5. 6.	Contribution to Provident Fund Contribution to Other Fund (specify) Staff Welfare expenses Expenses on Employee's Retirement and Terminal Benefits Leave Salary		
8.	Tution fees reimbursement Medical Reimbursement		
10. 11.	(1)/		
100	aı		

Place:		
Date:		Chief Accounts Officer
Member	Member	Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY **SCHEDULE 21**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201____

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars		Current year	Previous year
1. Purcha	ases		
2. Labou	r and processing expenses		
3. Cartag	e and Carriage inwards		
4. Electri	city and Power		
5. Water	charges		
6. Insurai	nce		

7. Repair and Maintenance	
8. Excise Duty	
9. Rent, Rates and Taxes	
10. Vehicles Running and Maintenance	
11. Postage, Telephone and Communication Charges	
12. Printing and Stationary	
13. Traveling and Conveyance expenses	
14. Expenses on Seminar/Workshops/Meetings and conferences	
15. Subscription expenses	
16. Expenses on Fees	
17. Auditors Remuneration	
18. Hospitality expenses	
19. Professional Charges	
20. Books and Periodicals	
21. Recruitment expenses	
22. Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	
23. Incentive to Aggregator	
24. Swavalamban Government Contribution	
25. Swavalamban promotion	
26. Incentive to Point of presence	
27. Irrecoverable balances Written off	
28. Packing charges	
29. Freight and Forwarding expenses	
30. Distribution expenses	
31. Advertisement and Publicity expenses	
32. Others (Specify)	
Total	

Place:

Date:

Chief Accounts Officer

Member Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 22

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE **YEAR ENDING AT 31.03.201___**

<u>EXPENDITUI</u>	RE ON GRANT SUBSIDIES ETC	<u> </u>		
			(Unit -	- INDIAN RUPEE
	Particulars		Current year	Previous year
 Grants given to Institutions / Organisations / National Pension System Trus Subsidies given to Institutions / Organisations Others (Specify) 		ational Pension System Trust		
Total				
Place:				
Date:			Chief Accounts O	fficer
Member	Member		Chairperson	
	PENSION FUND REGULA'	TORY AND DEVELOPMEN	T AUTHORITY	
		SCHEDULE 23		
ATTACHE <u>INTEREST</u>	D TO AND FORMING PART O YEAR ENDI	OF INCOME AND EXPENDE ING AT 31.03.201	ITURE ACCOUN	T FOR THE
INIERESI			(Unit –	INDIAN RUPEE
	Particulars	Current year	Prev	ious year
 On Fixe On Oth Bank cl Others 	er Loans harges			
Total				
Place:				
Date :			Chief A	Accounts Officer
Member	Member	Ch	airperson	
	PENSION FUND REGULA	TORY AND DEVELOPMEN	T AUTHORITY	
		SCHEDII E 24		

ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201_____

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 25

ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201_____

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

[F. No. 11/8/2014-PR]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Economic Advisor